ग्वालियर संस्करण की नई विज्ञापन दरें

वर्गीकृत विज्ञापन (ब्लैक एण्ड व्हाइट) 50 शब्द, प्रत्येक अतिरिक्त शब्द 5 रूपये, शीर्षक शुल्क 100 प्रतिशत अतिरिक्त	3 DAYS 100/-	15 DAYS 500/-	1 MONTH 1000/-
डिस्पले क्लासिफाइड विज्ञापन (ब्लैक एण्ड व्हाइट)	1 DAYS 500/-	7 DAYS 1800/-	1 MONTH 3000/-
पगड़ी रस्म, पुण्यतिथि फोटो सहित	Size 8x1	Rs. 500/-	
गुमशुदा, जन्मदिन, बधाई	Size 8x1	Rs. 1000/-	
वैवाहिक	Size 6x1	Rs. 500/-	
नाम परिवर्तन, लीज पॉलिसी परिवर्तन, खोया-पाया	Display Classified Rate		
वैवाहिक विज्ञापन कम से कम 40 शब्द (केवल मध्यप्रदेश) 5 रूपये अतिरिक्त शब्द	Rs. 500/-		

Contact:-
Nava Bharat Bhavan, City Center, Gwalior
Ph. 0751-4086200, 9479319990
E-mail address-bharatnava@gmail.com

पाठकगण किसी भी वर्गीकृत विज्ञापन पर पहल करने से पहले पूरी जानकारी एकत्र कर संपर्क करें. इस संबंध में नवभारत समाचार- पत्र की जिम्मेदारी नहीं होगी.

शहर में 182 जर्जर भवन, इनमें सरकारी बिल्डिंग भी शामिल

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 2 अगस्त. शहर में निजी के साथ-साथ सरकारी बिल्डिंग तक जर्जर हो चुकी हैं, जिनमें पीडब्ल्यूडी से लेकर शिक्षा

नगर निगम ने सभी 182 भवन स्वामियों को जारी किए नोटिस, नोटिस मिलने के पहले ही 34 लोगों ने खुद तोड़ दिए जर्जर भवन

विभाग के स्कूल तक शामिल हैं। जिन्हें निगम ने जर्जर घोषित कर तत्काल तोड़ने के लिए कहा, लेकिन अब तक उक्त भवनों को तोड़ा नहीं गया है। निगम ने ऐसे 182 जर्जर भवन मालिकों को नोटिस जारी किए हैं, जिससे कि

वह अपने जर्जर भवनों को सुरक्षित तरीके से तोड़ दें, जिससे कोई घटना न हो। बारिश के सीजन में घरों के भीतर सीलन व कई दीवारें कमजोर तक हो गईं। खासकर वह भवन जो सालों पुराने होकर जर्जर हो चुके हैं। ऐसे भवन शहर के हर गली-मोहल्ले से लेकर बाजारों में मौजूद हैं, जो बारिश के दौरान भरभरा कर कभी भी गिर सकते हैं।

जिससे बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। नगर निगम के भवन अधिकारियों ने शहर में घूम-घूम कर ऐसे 182 भवन चिह्नित किए हैं, लेकिन इन्हें अब तक गिराया नहीं गया है। जबकि इन भवन मालिकों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। निजी भवनों की बात तो छोड़िए यहां सरकारी बिल्डिंग ही बाजार में जर्जर खड़ी हुई हैं, जिनके आगे चेतावनी के बोर्ड लगाकर इतिश्री कर ली गई है। शहर के सदर बाजार में पीडब्ल्यूडी की पुरानी बिल्डिंग है, जो जर्जर हो चुकी है और इसे गिराने के लिए निगम ने पीडब्ल्यूडी को पत्र भी लिखा है। इसी तरह बारादरी पुल के पास स्कूल भवन जर्जर है, जिसे बंद तो करा दिया है, लेकिन अब तक गिराया नहीं गया है।

टीम लगातार शहर में कर रही सर्वे- निगम सिटी प्लानर कार्यपालन यंत्री एपीएस जादौन ने बताया कि शहर में भवन अधिकारी अपने-अपने दलों के साथ लगातार सर्वे कर रहे हैं। जिनमें जर्जर भवनों को चिह्नित किया जा रहा है, जैसे ही जर्जर भवन चिह्नित होते हैं, इनके मालिकों को नोटिस जारी किए जाते हैं। नोटिस देने के पूर्व भवन मालिकों से भवन को खाली कराने की प्रक्रिया भी की जा रही है।

36 भवनों की मरम्मत, सिर्फ 34 तोड़े गए

सिटी प्लानर एपीएस जादौन ने बताया कि 36 भवन स्वामियों ने मरम्मत करा ली है। वहीं 34 भवनों को स्वयं भवन मालिकों ने तोड़ दिया है। वहीं 36 भवन खाली कराए जा चुके हैं। जबकि 182 भवन या तो बंद पड़े हुए है या यह विवादित हैं। इस पर संबंधित भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। जिसमें इन्हें खाली कर तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इन नोटिसों की कॉपी संबंधित थानों को भी दी गई। अगर उक्त भवन खाली नहीं होते हैं तो निगम इन्हें तोड़ेगी और खर्च भवन स्वामियों से वसूल करेगी।

बीएसएफ अकादमी में तकनीकी अधिकारी बुनियादी कोर्स की शपथ परेड का आयोजन

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 2 अगस्त. सीमा सुरक्षा बल अकादमी, टेकनपुर में शनिवार को तकनीकी अधिकारी बुनियादी कोर्स क्रमांक-48 का भव्य शपथ परेड समारोह अकादमी टेकनपुर के वीरांगना लक्ष्मी बाई परेड स्थल पर आयोजित किया गया। तकनीकी अधिकारियों (चिकित्सा अधिकारियों) ने शानदार परेड का प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ब्रजेश कुमार ने शहीद स्मारक अजेय प्रहरी पर शहीदों को पुष्पचक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की, तदोपरान्त परेड स्थल पहुंचे। प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज और बीएसएफ ध्वज के तले देश के संविधान के प्रति एकता, अखंडता व संप्रभुता को बनाये रखने के लिये अपने आपको समर्पित करने की शपथ ली ताकि हर प्रकार की परिस्थितियों में सीमा प्रहरियों को भारत की प्रथम रक्षापंक्ति में शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व सुदृढ़ बनाए रख सके। खुली स्पर्धा के माध्यम से चुने गए ये सभी चिकित्सा अधिकारी देश के अलग-अलग राज्यों से संबंध रखते है।

इनके प्रशिक्षण के दौरान सीमा सुरक्षा बल अकादमी की प्रशिक्षण टीम ने इन्हें शारीरिक प्रशिक्षण, ड्रिल, युद्ध कौशल, निशानेबाजी, बिना हथियार लड़ने की कला, आपदा प्रबंधन, मैप रीडिंग आदि का भी ज्ञान दिया है। साथ ही संवेदनशीलता के साथ सेवा भाव हेतु भी प्रेरित किया गया। इसी तरह बल के चिकित्सीय प्रबन्धन, व्यक्तित्व निखार, बौद्धिक चरित्र निर्माण तथा नेतृत्व क्षमता पर भी विशेष ध्यान दिया है।

मुख्य अतिथि श्री ब्रजेश कुमार ने प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिन प्रशिक्षु अधिकारियों को ट्राफियां प्रदान कीं, उनमें डॉ. चंद्रेश कँवर ऑल राउण्ड सर्वोत्तम, डॉ. लेखनी आंतरिक प्रशिक्षण में सर्वोत्तम एवं डॉ. चंद्रेश कँवर बाहरी प्रशिक्षण में प्रथम शामिल हैं।

उन्होंने युवा प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज आपकी जोश भरी परेड अकादमी में प्राप्त आपके उच्च दर्जे के प्रशिक्षण एवं आत्मविश्वास को दर्शाती है। मुख्य अतिथि ने अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र की प्रशिक्षण टीम को इन्हे एक सामान्य व्यक्ति से योग्य डॉक्टर तथा संपूर्ण योद्धा के रुप में निखारने हेतू बधाई दी। साथ ही टेकनपुर स्थित कम्पोजिट हॉस्पिटल के अनुभवी चिकित्सकों को उनके समय-समय पर सहयोग हेतु धन्यवाद एवं बधाई देते हुए सभी प्रशिक्षु अधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और उनके माता-पिता को अपने बच्चों को देश सेवा हेतु भेजने के लिए धन्यवाद दिया। परेड के उपरान्त श्री ब्रजेश कुमार पिपिंग सेरेमनी में प्रशिक्षु अधिकारियों और उनके अभिभावकों से मिले।

इस अवसर पर अकादमी टेकनपुर में पदस्थ अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, अन्य कार्मिक व प्रशिक्षु अधिकारियों के परिवारजन उपस्थित थे। परेड के समाप्त होने के पश्चात् उपस्थित अभिभावकों तथा दर्शकों के मनोरंजन के लिये सीमा सुरक्षा बल बैंड द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गयी और श्वान प्रर्दशन किया गया, जिसका सभी दर्शकों ने बहुत आनन्द और लुत्फ उठाया।

उप्र में दिव्यागों पर पुलिस बर्बरता से ग्वालियर के दिव्यांग संगठन नाराज

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 2 अगस्त. उप्र के दिव्यांगजनों द्वारा काफी समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अलग अलग जिलों में धरने आंदोलन किए जाने के बाद भी जब दिव्यांग जनों की किसी भी तरह से सुनवाई नहीं हुई तो उप्र के दिव्यांग संगठनों ने मिलकर दिव्यांग गठबंधन बनाकर विधानसभा का घेराव करने के लिए कूच किया यह देख जिससे उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की योगी सरकार इतना घबरा गई दिव्यांग जनों के आंदोलन को कुचलने के लिए संगठनों के अध्यक्षों को उन्हीं के घरों में पुलिस द्वारा नजर बंद कर दिया गया ओर कुछ दिव्यांग जनों को रेल्वे स्टेशनों पर ही पुलिस बल द्वारा रोक दिया गया। इसके बादजूद हजारों की संख्या में जब दिव्यांग लखनऊ विधानसभा का घेराव करने पंहुच गये तब पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए दिव्यांग जनों पर बल प्रयोग करते हुए निहत्थे असहाय दिव्यांग जनों को घसीट घसीट कर बर्बरता पूर्ण बसों में भरकर अन्यत्र स्थानों पर छोड़ा गया। इस कृत्य की कड़ी आलोचना करते हूऐ शहर जिला कांग्रेस विकलांग कल्याण प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ऐवं वरिष्ठ समाजसेवी ओर राष्ट्रीय शसक्त आत्मनिर्भर ट्रस्ट नई दिल्ली के राष्ट्रीय सलाहकार अनूप जौहरी ने उतर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि दिव्यांग जनों के साथ योगी सरकार की इतनी बर्बरता देखते हुए केसे खामोश हैं। इस घटना की कड़ी आलोचना करते हुए जौहरी ने कहा कि इतना सब कुछ देख मानव अधिकार आयोग भी शांत बैठा हुआ हे। जौहरी ने मानव अधिकार आयोग से मांग की हे कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी पुलिस द्वारा निहत्थे असहाय दिव्यांग जनों पर बर्बरता करते हुए गिरफ्तारी की गई है, इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गंभीरता से अपने संज्ञान में लेकर दोषी अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

तुलसीदास जयंती पर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 2 अगस्त. रामकृष्ण मिशन सीबीएसई स्कूल ग्वालियर के तत्वावधान में विवेकानंद सभागार में गोस्वामी तुलसीदास जयंती के उपलक्ष में विभिन्न प्रतियोगिताओं को आयोजित किया गया। यह प्रतियोगिताएं चार समूह - छत्रपति शिवाजी हाउस, स्वामी विवेकानंद हाउस, मां शारदा हाउस तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस हाउस के मध्य हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ रामकृष्ण मिशन सीबीएसई स्कूल के प्राचार्य व सचिव स्वामी कृष्णामृतानंद जी महाराज एवं कृषि महाविद्यालय ग्वालियर के पूर्व वैज्ञानिक डॉ सुरेश चंद्र शर्मा जी तथा शारदा नाथ संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य संतोष मुरूमकर के कर-कमलों द्वारा पवित्र त्रिमूर्ति रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा एवं स्वामी विवेकानंद जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया।

चार समूह के प्रतिभागियों द्वारा गोस्वामी तुलसीदास विषय पर समूह गायन, एकल गायन और संभाषण प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में एकल गान भजन प्रतियोगिता के अंतर्गत छात्र छात्राओं ने जब संत मिलन, जरी की पगड़ी, वृंदावन की कुंजगली और अंतर राम बसे रे मनवा जैसे भक्तिरस से ओतप्रोत भजनों की प्रस्तुति देकर सभी प्रतियोगियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया.

सिटी सेंटर सड़क धंसी, आवागमन बाधित

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 2 अगस्त. शहर में सड़कें धंसकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब शहर के सिटी सेंटर में तानसेन

शहर में लगातार सड़कों के धंसकने का सिलसिला जारी
अफसर चैंबरों में बैठकर बना रहे सड़कों को धंसकने से रोकने का प्लान

होटल की ओर जाने वाली सड़क सेंट्रल पार्क होटल के सामने धंसक गई। जिसमें एक मूंगफली के छिलकों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली फंस गई। लोग पहले ही सड़कों

के गड्ढों से परेशान है और सड़कें धंसकने का सिलसिला रुक नहीं रहा, जिससे लोगों के लिए अब सड़कों पर चलना भी जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। शनिवार की सुबह सिटी सेंटर में होटल तानसेन की ओर जाने वाली सड़क होटल सेंट्रल पार्क के सामने धंसक गई। जिसमें मूंगफली के छिलकों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली फंस गई। हादसा सुबह के समय होने से कोई बड़ी घटना तो नहीं हुई, लेकिन इससे एक बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त हुआ।

हालाकि यह टूटकर गिरा नहीं, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद मौके पर पहुंची क्रेन के जरिए ट्रैक्टर-ट्रॉली को धंसी हुई सड़क से करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया। बता दें कि एक दिन पहले तिघरा रोड और इसके पहले झांसी थाने के सामने सड़क धंस गई थी, जिसमें एक ट्रक घंटों तक फंसा रहा था और इससे ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो गई थी। सड़कें धंसने का सिलसिला जून में शुरू हुआ था जो लगातार दो महीने से अगस्त तक जारी बना हुआ है। बावजूद इसके निगम अफसर सड़कों को लेकर कतई गंभीर नहीं है।

जो व्यक्ति जैसा दान देता है, उसे वैसा ही पुण्य प्राप्त होता है : आचार्य श्री सुबल सागर

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 2 अगस्त. व्यक्ति के दान देने से इस भाव के साथ आगामी भावों के लिए पुण्य प्राप्त करता है। पूर्व पर्यायों में दिया दान से आज इस पर्याय में हमें सुख, संपदा ओर सम्पत्ति पुण्य से प्राप्त हुआ है। जो व्यक्ति जैसा दान देता है, उसे वैसा ही पुण्य प्राप्त होता है। आज हम जो व्यापार से धन कम रहे हैं, घर संपत्ति, और सुख प्राप्त कर रहे ये सब पूर्व पर्याय में दिए हुए दान का फल है। दान हमे धर्म के कार्यों में देना चाहिए। आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को भी दान देना सीखना चाहिए। यह विचार आचार्य श्री सुबल सागर महाराज ने आज शनिवार को नई सड़क स्थित चंपाबाग धर्मशाला मे धर्मसभा को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

आचार्य श्री ने कहा कि दान चार प्रकार के होते हैं, अहारदान, औषधिक दान, अभय दान, और ज्ञानदान। श्रावक तीन प्रकार के दान कर पुण्यार्जन करता है वहीं साधु ज्ञान दान देकर स्वयं का एवं मोक्षमार्गी साधकों का कल्याण करते हैं। कोई भी दान छोटा - बड़ा नहीं होता, सब एक दूसरे के पूरक हैं और जरूरी भी। जिस तरह गौ माता के चार थन होते हैं और वह चारों थनों के द्वारा दूध देती है, उसी तरह चारों प्रकार के दान देने से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने ने कहा कि साधु हमेशा राग-द्वेष के बंधनों से मुक्त रहता है। संत समागम, विरले व्यक्तियों को ही मिल पाता है। प्रवचन से पूर्व आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल विकास गंगवाल, निर्मल पाटनी, बालचंद्र जैन, प्रवीण गंगवाल, कमलेश जैन, इंजी राजमल जैन, विनय कासलीवाल, वीरेंद्र बाबा, पंकज छाबड़ा, प्रमोद जैन, योगेश बोहरा, विकास जैन आदि ने किए।

हरीखेड़ा पहाडी पर रोपे पौधे लिया संरक्षण का संकल्प

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 2 अगस्त. अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना आज समय की आवश्यकता है और पौधे लगाने के साथ-साथ उनका संरक्षण करना अनिवार्य है अन्यथा लगाए गए पौधे जब तक बड़े नहीं होंगे तो इस प्रकार के अभियान का कोई लाभ नहीं है। उक्त भाषण के विचार नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने आज शनिवार को हरीखेड़ा पहाड़ी पर आयोजित पौधारोपण अभियान के दौरान व्यक्त किये। इसके साथ ही शहर में अनेक स्थानों पर अभियान चलाकर पौधे रोपे गए तथा उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। पौधों को वायु दूत ऐप पर अपलोड किया गया।उल्लेखनीय है कि शहर हरा भरा रहे इसके लिए नगर निगम द्वारा शनिवार 2 अगस्त 2025 को सुबह 9 बजे अमृत हरित अभियान के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम हरीखेडा पहाडी सहित अनेक स्थानों पर वृहत स्तर पर पौधा रोपण किया गया।

इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय के के साथ अपर आयुक्त विजय राज, मुनीष सिकरवार, उपायुक्त मुकेश बंसल ,सहायक नोडल अधिकारी श्री शैलेंद्र सक्सेना सहित पार्क विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे।

पौधा रोपण महा अभियान अंतर्गत आरटीओ पहाड़ी हरीखेड़ा, हुरावली रोड पर वृहद स्तर पर पौधा रोपण किया गया। इसके साथ ही क्षेत्राधिकारी एवं पार्क विभाग टीम द्वारा शहर के अन्य प्रमुख पार्क, खुली भूमि, डिवाइडर, विभिन्न आवासीय परिसर, शैक्षणिक परिसर एवं अन्य स्थानों पर अभियान चलाकर एक साथ पौधा रोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। जिसमें वार्ड क्रमांक 62 अहिल्याबाई पार्क में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि श्री अशोक सिंह गुर्जर ,क्षेत्राधिकारी श्री अभिषेक ठाकुर ,क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी टाइमकीपर नरेंद्र राणा, हेमंत भदौरिया, नवीन पवन एवं आस पास के आमजनों के साथ वृक्षारोपण किया गया। इसके साथ ही विक्रम तोमर द्वारा नारायण विहार प्लांट पर श्री विष्णु पाल द्वारा जलालपुर एफ सी टी एस प्लांट एवं आई आई टी टी एम एफ सी टी एस प्लांट वृक्षारोपण किया।क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 18 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 49 में नयापुरा स्कूल परिसर में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं पूर्व पार्षद सतीश बोहरे, स्कूल स्टाफ एवं जोनल कार्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 14 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 29 में अटल पार्क में पौधारोपण का कार्य किया गया।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **विकाश (VIKASH)** पुत्र **श्री रघुवीर सिंह** सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम **कश्मीर सिंह (KASHMIR SINGH)** था जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिख गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में **विकाश** पुत्र **श्री रघुवीर सिंह** के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूं एवं जाउंगा। जो मेरे शासकीय, अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है **विकाश** एवं **कश्मीर सिंह** दोनों मेरे ही नाम है अतः मेरे आधार कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम **कश्मीर सिंह** के स्थान पर **विकाश** लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।
पूर्व नाम-कश्मीर सिंह
वर्तमान नाम-विकाश पुत्र श्री रघुवीर सिंह
पता:- बी86, मयूर मार्केट ठाटीपुर, ग्वालियर, म.प्र.

आम-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा आरती राठौर पत्नी श्री विश्वराज सिंह राठौर ने उक्त अचल संपत्ति प्लॉट क्र. 12 स्थित ग्राम गिरवाई जिला ग्वालियर में है। जिसका म्यु. वार्ड क्र. 65 है। जो कि सर्वे क्र. 1303/2/1/2 का भाग 800 वर्गफुट है। जो मेरी पक्षकारा ने विक्रय अनुबंध पत्र के तहत क्रय करना स्वीकार किया। मेरी पक्षकारा के विक्रेता देवीलाल कुशवाह पुत्र स्व. श्री गिरधारी कुशवाह के परिवार सदस्य श्रीमती लीलाबाई पत्नी स्व. श्री गिरधारी, एवं लालसिंह, कैलाश, लक्ष्मी, कान्ता कुशवाह पुत्रगण / पुत्रियां स्व. श्री गिरधारी कुशवाह की काश्त की कृषि भूमि खसरे में संयुक्त भूमि राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज होकर चली आ रही। मेरी पक्षकारा के द्वारा किये विक्रय अनुबंध पत्र के तहत चतुरसीमा निम्नानुसार है:-पूर्व में - प्लाट नं. 18, पश्चिम में- रोड, उत्तर में-प्लॉट क्र. 11, दक्षिण में -प्लॉट क्र. 13 व 14 जिसका कुल क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है। मेरी पक्षकारा आरती राठौर पत्नी श्री विश्वराज सिंह राठौर को उक्त अचल संपत्ति प्लॉट क्र. 12 के विक्रेता देवीलाल कुशवाह पुत्र स्व.श्री गिरधारी कुशवाह के द्वारा विक्रित किये जाने बावत अगर किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागों या प्राईवेट फायनेंश को या विक्रेता के परिवार सदस्य श्रीमती लीलाबाई पत्नी स्व. श्री गिरधारी, एंव लालसिंह, कैलाश, लक्ष्मी, कान्ता कुशवाह पुत्रगण / पुत्रियां स्व. श्री गिरधारी कुशवाह को कोई उज्र व आपत्ति हो तो मय सबूत के नीचे पते पर 7 दिवस के अन्दर उपस्थित होकर आपत्ति पेश करे वरना म्याद गुजरने के बाद कोई उज्र व आपत्ति मान्य व स्वीकार नही होगी और मेरी पक्षकारा आरती राठौर पत्नी श्री विश्वराज सिंह राठौर उक्त अचल संपत्ति प्लॉट क्र. 12 का कुल क्षेत्रफल 800 वर्गफुट को क्रय करने बावत हाउसिंग लोन की सुविधा पीरामल फायनेंश लिमिटेड सिटी सेन्टर ग्वालियर से आवंटित करा रही है। जो सूचित हो।
दिनांक-02.08.2025
स्थान ग्वालियर
भवदीय
संजय बाकलीवाल एडवोकेट
चिक संतर मुरार ग्वालियर
मो. 9300981954

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **पंकज सिंह तोमर (PANKAJ SINGH TOMAR)** पुत्र **श्री बीरेंद्र सिंह तोमर** सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का पूर्व नाम **अवनीश सिंह तोमर (AVNEESH SINGH TOMAR)** था जो मेरे पुत्र के आधार कार्ड में गलती से लिख गया है जो कि गलत है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरे पुत्र को **अनीश तोमर (ANEESH TOMAR)** पुत्र **श्री पंकज सिंह तोमर** के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता है एवं जाएगा। जो उसके शासकीय, अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है **अवनीश सिंह तोमर** एवं **अनीश तोमर** दोनों मेरे ही पुत्र के नाम है अतः मेरे मेरे पुत्र के आधार कार्ड में नाम **अवनीश सिंह तोमर** के स्थान पर **अनीश तोमर** लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।
सूचनाकर्ता
नाम- पंकज सिंह तोमर पुत्र श्री बीरेंद्र सिंह तोमर
पता:- वॉर्ड न. 01, लेन रोड, अम्बाह, मुरैना, म.प्र.

आम सूचना

श्री मनोज धोईया पुत्र श्री अजमेर सिंह धोईया के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित न्यू गणेशपुरा कॉलोनी, ग्राम धनेली, प.ह.नं.114, तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) में है जो भूमि सर्वे क्र.1322मिन-3 एवं 1325/2/मिन-1 ग्राम धनेली का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1487.5 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:-पूर्व में-रास्ता, पश्चिम में-भूमि विक्रेता, उत्तर में-भूमि विक्रेता एवं दक्षिण में-भूमि विक्रेता है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्रीमती रामजीबाई पत्नी स्व. श्री बद्री, श्री पुरूषोत्तम, श्री सुरेश सिंह पुत्रगण श्री बद्री के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री सुरेश राजे द्वारा अपने भाग की सम्पत्ति के संबंध में श्री जीतेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह के हित में ई-रजिस्टर्ड मुख्त्यारआम विलेख क्र. एमपी 142592021 ए4960034 दिनांक 16.11.2021 को सम्पादित किया गया। श्री सुरेश राजे जर्ये मुख्त्यारआम श्री जीतेन्द्र सिंह द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री मनोज धोईया पुत्र श्री अजमेर सिंह धोईया को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी 142592022 ए1805094 दिनांक 01.08.2022 से विक्रय की गई। श्री मनोज धोईया द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार जना स्मॉल फायनेंस बैंक लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांकों के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हों।
प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. - मकान नं. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **रामवीर सिंह रावत (RAMVEER SINGH RAVAT)** पुत्र **श्री हजारी सिंह रावत** सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का पूर्व नाम **शिवम रावत (SHIVAM RAWAT)** था जो मेरे पुत्र के आधार कार्ड में गलती से लिख गया है जो कि गलत है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरे पुत्र को **सत्यम रावत (SATYAM RAWAT)** पुत्र **श्री रामवीर सिंह रावत** के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता है एवं जाएगा। जो मेरे पुत्र के शासकीय, अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है **शिवम रावत** एवं **सत्यम रावत** दोनों मेरे ही पुत्र के नाम है अतः मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम **शिवम रावत** के स्थान पर **सत्यम रावत** लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।
सूचनाकर्ता
नाम-रामवीर सिंह रावत पुत्र श्री हजारी सिंह रावत पता:- ग्राम झुंदपुरा, वॉर्ड नं. 14, तेह. सबलगढ, मुरैना, म.प्र.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रमोद, आकाश आवला, सतीश आवला, रवि आवला पुत्रगण रामबाबू आंबला एवं रामबाबू आंबला के स्वामित्व का एक भवन जो सर्वे क्रं. 366 पर निर्मित है, जिसका क्षेत्रफल 945 वर्ग फुट है, स्थित ग्राम - सबलगढ़, पटवारी हल्का क्रं. 27, रा.नि. म.-1 सबलगढ़, तहसील सबलगढ़ व जिला मुरैना में है। जिसकी चतुरसीमा निम्न प्रकार है : पूर्व में - भवन श्रीमती सुधा बंसल, पश्चिम में - दीवाल कोर्ट, उत्तर में - रोड़, दक्षिण में - भवन सादिक खान, उक्त भवन प्रमोद, आकाश आवला, सतीश आवला, रवि आवला पुत्रगण रामबाबू आंबला एवं रामबाबू आंबला को श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी रामबाबू आंबला की मृत्यु के पश्चात् उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है। उक्त सम्पत्ति श्रीमती मुन्नी देवी ने जरिये वि. पत्र. पं. दि. 27-12-2003 के द्वारा रामकिशोर शर्मा पुत्र बसंत लाल शर्मा से क्रय की थी। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर ऋण प्राप्त करने हेतु प्रमोद, आकाश आवला, सतीश आवला, रवि आवला एवं रामबाबू आंबला ने वित्तीय संस्था में आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः कोई व्यक्ति, संस्था, निगम, निकाय, बैंक, प्रायवेट फाइनेंसर, उपरोक्त सम्पत्ति में अपना हक, अधिकार, ऋणभार, जमानत सम्बन्धि भार, अनुबंध रखता हो या स्व. श्रीमती मुन्नी देवी के उपरोक्त उत्तराधिकारियों के अलावा अन्य कोई विधिक उत्तराधिकारी हो या स्व. श्रीमती मुन्नी देवी ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयतनामा निष्पादित किया हो या अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित किया हो, तो उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में मय दस्तावेजों के हमारे कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में अपत्ति प्रस्तुत करें, 7 दिवस पश्चात् प्रमोद, आकाश आवला, सतीश आवला, रवि आवला एवं रामबाबू आंबला का अवेदन वित्तीय संस्था के नियमों के अनुसार सही पाया जाता है तो वित्तीय संस्था उपरोक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर प्रमोद, आकाश आवला, सतीश आवला, रवि आवला एवं रामबाबू आंबला को ऋण प्रदान कर देगी। उसके पश्चात् प्रस्तुत किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य व स्वीकार नही होगी तथा वित्तीय संस्था द्वारा दिये गये ऋण का भार उपरोक्त सम्पत्ति पर सर्वप्रथम व एक मात्र होगा।
प्रेषक: कौशल पाराशर एवं सुमित तिवारी (एडवोकेट्स)
कार्यालय - स्व. श्री ओ. पी. शर्मा, एडवोकेट, जस्टिस हरगोविन्द मिश्रा कॉलोनी, महादजी पार्क, लश्कर, ग्वालियर, मोबा. : 98931-14325

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **सिरदार बाई (SIRADARA BAI)** पत्नि **श्री अजमेर सिंह** सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व नाम **सिद्दो (SIDDO)** था जो मेरे आधार कार्ड में गलती से लिख गया है जो कि गलत है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में में **सिरदार बाई** पत्नि **श्री अजमेर सिंह** के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूं एवं जाउंगी। जो मेरे वोटर कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है **सिरदार बाई** एवं **सिद्दो** दोनों मेरे ही नाम है अतः मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम **सिद्दो** के स्थान पर **सिरदार बाई** लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।
सूचनाकर्ता
पूर्व नाम-सिद्दो
वर्तमान नाम-सिरदार बाई पत्नि श्री अजमेर सिंह
पता:- ग्राम व पोस्ट सीताराम की लावन, गोरमी, भिंड, म.प्र.

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 17 वार्ड क्रं. 39, भवन क्रं.1141, स्थानः लोहागढ़ पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती पुनिया बाई उर्फ मुनिया / स्व.श्री लाल सिंह उर्फ लज्जू पाल के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000186800 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 820 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड हकत्याग-पत्र क्रं. MP142602025A1176179 दिनांक 15.03.2025 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढ़ोली बुआ का पुल क्षे.क्रं. 17 पर दिनांक 30.07.2025 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रं 71/2010/57918/58110/ प्र.क्रं.*3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।
आवेदक का नाम/पता
मनोज पाल / स्व. श्री लाल सिंह उर्फ लज्जू पाल
फूलवती / स्व. श्री मोहन पाल
पताः लोहागढ़, वार्ड -39
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 02-08-2025

नाम परिवर्तन सूचना

मैं **राजेंद्र सिंह (RAJENDRA SINGH)** पुत्र **श्री रामस्वरूप सिंह** सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का पूर्व नाम **गिर्राज (GIRRAJ)** था जो मेरे पुत्र के आधार कार्ड में गलती से लिख गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मेरे पुत्र को **सुमित (SUMIT)** पुत्र **श्री राजेन्द्र सिंह** के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता है एवं जाएगा। जो मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र, शासकीय, अर्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है **गिर्राज** एवं **सुमित** दोनों मेरे पुत्र के ही नाम है अतः मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम **गिर्राज** के स्थान पर **सुमित** लिखा एवं पढ़ा जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।
सूचनाकर्ता
नाम-राजेंद्र सिंह, पता:- ग्राम कीरतपुरा, पोस्ट पिपरसाना, तह. गोहद, भिंड म.प्र.

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 17 वार्ड क्रं. 39, भवन क्रं..., स्थानः बाई साहब की परेड पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती कमलेश शर्मा / श्री महेश प्रसाद शर्मा के नाम से नगर निगम में आई. डी. क्रं. 1000332159 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1033 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्रं. A100206941 दिनांक 16.04.2025 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढ़ोली बुआ का पुल क्षे.क्रं. 17 पर दिनांक 25.07.2025 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य क्रं 71/2010/57902/58094/ प्र.क्रं.*3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।
आवेदक का नाम/पता
पुनीत, देवांश खण्डेलवाल / श्री विजय खण्डेलवाल
संजय खण्डेलवाल / श्री सीताराम खण्डेलवाल
पताः बाई साहब की परेड, वार्ड -39
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 02-08-2025